# <u>प्रतिवेद्य</u>

# भारतीय सर्वोच्च न्यायालय दीवानी अपीलीय अधिकारिता

# सिविल अपील सं. 2628 वर्ष 2017

नगरआयुक्त, नगर निगम, कानपुर

....अपीलार्थी

बनाम

श्री मुजीब उल्ला खान और अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

सह

# सिविल अपील सं. 2629 वर्ष 2017

नगर निगम, गोरखपुर

....अपीलार्थी

बनाम

राम शंकर यादव एवं अन्य

....प्रत्यर्थी (गण)

# <u>निर्णय</u>

# न्यायमूर्ति हेमन्त गुप्ता

1. सिविल अपील सं. 2628 वर्ष 2017 में इलाहाबाद उच न्यायालय के विद्वत एकल बेंच के 19.04.2007 दिनांकित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी, कानपुर द्वारा ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972<sup>1</sup> के अन्तर्गत 08.12.2006 दिनांकित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया था।

# 1 अधिनियम

### <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

- 2. सिविल अपील सं. 2629 वर्ष 2017 को भी वर्तमान अपील के साथ विचार के लिए लिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय के 02.05.2007 दिनांकित आदेश को चुनौती दी गयी है जिसके द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी (अतिरिक्त श्रमायुक्त, गोरखपुर, उ.प्र.) द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थी के पक्ष में ग्रेच्युटी हेतु याचिका को मंजूरी दी गयी थी।
- 3. अपीलार्थी, कानपुर नगर निगम, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 <sup>2</sup> से शासित होता है, जबिक प्रत्यर्थी अपीलार्थी का कर्मचारी है । दोनों मामलों में कर्मचारियों ने अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारियों की अधिकारिता का आश्रय लेकर ग्रेच्युटी का दावा किया है । विद्वत एकल बेंच के समक्ष अपीलार्थी का तर्क यह है, कि ग्रेच्युटी का भुगतान 1959 के अधिनियम की धारा 548 दिनांक 11.01.1988 को यथा संशोधित के अन्तर्गत, सेवा निवृत्ति लाभों और सामान्य भविष्य निधि नियामकों 1962 <sup>3</sup> के अनुरूप किया जाता है । ऐसे नियामक ग्रेच्युटी का भुगतान 16.5 महीनों के लिए 15 दिन प्रतिमाह के वेतन के आधार पर तय करते हैं । उच्च न्यायालय ने यह पाया कि इस मामले में अधिनियम ही लागू होता है जिसके द्वारा ग्रेच्युटी की गणना 15 दिन प्रति माह के वेतन के आधार पर प्रत्येक पूरे किए गए वर्ष के लिए महीनों या उसके हिस्से की सीमा बिना के किया जाता है ।

<sup>2 1959</sup> का अधिनियम

<sup>3 1962</sup> के नियामक

- 4. अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दिया गया तर्क यह है, कि गेच्युटी 1959 के अधिनियम की धारा 548 (1), दिनांक 11.01.1988 को यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रकाशित वर्ष 1962 के नियामकों के नियम 4(1) के तहत देय होती है। अतः निगमों के कर्मचारीगण ऐसे नियामकों के तहत ही ग्रेच्युटी के हकदार हैं, अधिनियम के अन्तर्गत नहीं।
- 5. दिल्ली नगर निगम बनाम धरम प्रकाश शर्मा एवं अन्य 4 के आधार पर उच्च न्यायालय ने माना कि केवल केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों को ही अधिनियम की प्रयोज्यता से छूट है इसलिए अपीलार्थींगण के कर्मचारी अधिनियम से शासित होंगे और उसमें उल्लिखित स्केल के आधार पर ग्रेच्युटी के हकदार हैं। यह अवधारित किया गया, कि अधिनियम की धारा 2 (ङ) के अन्तर्गत 'कर्मचारी' की परिभाषा के संबंधों में अधिनियम मात्र केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के कर्मचारियों पर ही लागू नहीं होता । अतः निगमों के कर्मचारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ग्रेच्युटी के हकदार हैं।
- 6. उ.प्र. दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 <sup>5</sup> की धारा 3 के आधार पर अपीलार्थी का यह मानना है, कि ऐसे अधिनियम सरकारी या स्थानीय निकायों के कार्यालयों पर लागू नहीं होंगे।
  - 4 AIR 1999 SC 293
  - 5 1962 का अधिनियम

### ज*दघोषणा*

अतः ऐसे वैधानिक प्रावधान के बल पर यह तर्क दिया गया, कि अधिनियम निगमों के संबंध में लागू नहीं होगा । अपीलार्थी कोई कारखाना, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पोत और रेलवे कम्पनी नहीं है । यह कि अधिनियम की धारा 1 (3) उपबंध (ग) में यथा अनुबद्ध कोई अधिसूचना नहीं है । इसलिए निगमों के कर्मचारी 1959 के अधिनियम की धारा 548 की शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए नियामकों के तहत ग्रेच्युटी के हकदार हैं । अधिनियम के अन्तर्गत नहीं ।

- 7. दूसरी ओर प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह दर्शित किया है, कि केन्द्र सरकार ने अधिनियम की प्रयोज्यता को निगमों तक बढ़ाने हेतु 08.01.1982 को अधिनियम की धारा 1(3) (ग) के तहत अधिसूचना प्रकाशित किया है । इस प्रकार अधिनियम निगमों पर भी लागू होता है । अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार है:
  - "1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रयोज्यता और प्रवर्तन-
  - (1) इस अधिनियम को ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 कहा जाएगा ।
  - (2) इस का विस्तार पूरे भारतवर्ष में होगा : सिवाय जहां तक यह बागानों या पोतों के संबंध में है , यह जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं होगा ।
  - (3) यह लागू होगा –
  - () प्रत्येक कारखाना, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पोत और रेलवे कम्पनी ;
  - () राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त

<sup>&</sup>quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विधि के अर्थ में प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें पूर्व के बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक लोग नियोजित हों या नियोजित रहे हों ;

- () ऐसे अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की कोटि जिसमें पूर्व के बारह महीनों के किसी भी दिन केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में यथा अधिसूचित दस या अधिक कर्मचारी नियोजित हों या नियोजित रहे हों। "
- 8. उपरोक्त प्रावधानों का अवलोकन यह दर्शित करेगा , कि अधिनियम निम्न पर लागू होता है । (1) प्रत्येक कारखाना, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पोत और रेलवे कम्पनी ; (2) राज्य में दुकानों और प्रतिष्ठानों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त विधि के अर्थ में प्रत्येक दुकान या प्रतिष्ठान जिसमें दस या अधिक लोग नियोजित हों , उक्त प्रावधान की दो शर्तें हैं, जो हैं (i) राज्य विधि के अर्थों में कोई दुकान या प्रतिष्ठान और (ii) जिसमें दस या अधिक लोग नियोजित हों ; और (3) प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की कोटि जिसे केन्द्र सरकार अधिसूचित करे ।
- 9. अपीलार्थी अधिनियम की धारा 1(3) के उपखंड (क) और (ख) द्वारा रक्षित नहीं हैं। उपखंड (क) प्रावधान पर लागू नहीं होता, लेकिन 1962 के अधिनियम की धारा 3 (ग) के दृष्टिगत उपखंड (ख) भी लागू नहीं होता क्योंकि ऐसा अधिनियम सरकारी या स्थानीय निकायों के कार्यालयों पर लागू नहीं होता है। स्थानीय प्राधिकारी का अर्थ है कोई नगर पालिकीय कमेटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि या साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3 (31) के तहत नगर पालिकीय या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन में संलग्न निकाय।
- 10. उपरोक्त के संबंध में अधिनियम की धारा 1 (3) (ग) के

<sup>&</sup>quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

तहत केन्द्र सरकार ने 08.01.1982 को एक अधिसूचना प्रकाशित की और ऐसे स्थानीय निकायों को विनिर्दिष्ट किया जिसमें प्रतिष्ठान की कोटि के रूप में, जिस पर यह अधिनियम लागू होता है, पूर्व के बारह महीने के किसी भी दिन दस या अधिक लोग नियोजित हों या नियोजित रहे हों। 08.01.1982 दिनांकित उक्त अधिसूचना इस प्रकार है। " नई दिल्ली, 8 जनवरी 1982

# <u>अधिसूचना</u>

S.O. No. 239 ... . ग्रैच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 (39 वर्ष 1972) की धारा 1 की उपधारा (3) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा 'स्थानीय निकायों' को विनिर्दिष्ट करती है जिसमें पूर्व के बारह महीनों के किसी भी दिन दस या अधिक लोग नियोजित हों या रहे हों , प्रतिष्ठान की एक कोटि के रूप में जिस पर उक्त अधिनियम इस अधिसूचना के राज्यपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

Sd/.

(आर.के.ए. सुब्रामण्या) अतिरिक्त सचिव

(F.No.S- 70020/16/77-FPG)"

11. हम पाते हैं, कि 8.01.1982 दिनांकित अधिसूचना को उच्च न्यायालय के समक्ष सन्दर्भित नहीं किया गया था । ऐसी अधिसूचना बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, कि अधिनियम स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगमों पर लागू होता है । अधिनियम की

<sup>&</sup>quot;क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

धारा 14 ने किसी अन्य अधिनियम में किसी असंगत प्रावधान पर अध्यारोही प्रभाव प्रदान किया है। उक्त प्रावधान इस प्रकार है:

"14. अधिनियम का अन्य अधिनियमनों पर अध्यारोही होना, इत्यादि — इस अधिनियम के प्रावधान या इसके अन्तर्गत बनाया गया कोई नियम इस अधिनियम के अलावा किसी अधिनियम में या किसी लिखत या संविदा में निहित इस अधिनियम से अलग अधिनियम होने के कारण प्रभाव रखने वाले इससे असंगत किसी उपबंध पर अध्यारोही प्रभाव रहेगा।

- 12. अधिनियम की धारा 14 के दृष्टिगत, ग्रेच्युटी के भुगतान संबंधी राज्य अधिनियम का प्रावधान स्थानीय निकाय के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 13. दिल्ली नगर निगम (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय में अधिनियम की धारा 2 (ङ) को ही सन्दर्भित किया गया था । उक्त निर्णय CCS (पेंशन) नियम 1972 के सन्दर्भ में है,

6. 1972 का नियम

जो स्पष्टतः पेंशन और ग्रेच्युटी के भुगतान का उपबंध करता है। अधिनियम नगर पालिकाओं पर लागू होता है, इसलिए यदि 08.01.1982 दिनांकित अधिसूचना को संदर्भित न भी किया गया हो, तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

- 14. अपीलार्थी का समस्त तर्क यह है, कि राज्य अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम की तुलना में ग्रेच्युटी का निर्बन्धनात्मक लाभ प्रदान करता है। ऐसा तर्क अधिनियम की धारा 14 के आलोक में मान्य नहीं है। और ग्रेच्युटी का उदार भुगतान कर्मचारियों के हित में है। इस प्रकार ग्रेच्युटी अधिनियम के अन्तर्गत देय होगी। ऐसा ही दृष्टिकोण नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अपनाया गया है।
- 15. उपरोक्त के दृष्टिगत हम पाते है कि अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा दिए गये और उच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है । परिणामस्वरुप अपील निरस्त की जाती है ।

... ... ... ... ... ... (न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौदर) ... ... ... ... ... ... ...

(न्यायमूर्ति हेमत गुप्ता)

नई दिल्ली अप्रैल 2, 2019

### <u> उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

# उद्घोषणा "क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।